

3

[To be published in the Official Gazette, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O.____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby establishes the office of the Registrar of Companies at Guwahati consequent to relocation of the said office from Shillong, having territorial jurisdiction in whole of the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh and appoints the Registrar of Companies at Guwahati for the purpose of registration of companies and discharging the functions under the aforesaid Act in the said States.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.1/16/2013 -CL-V]


25/7/19
(K.V.R.Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिलांग स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उक्त कार्यालय का गुवाहाटी में स्थान परिवर्तन करती है जिसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार संपूर्ण असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और गुवाहाटी स्थित कंपनी रजिस्ट्रार को उक्त राज्यों में उपरोक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण करने और कार्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/16/2013-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति
25/7/19
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
